

**कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।**

संख्या—एम०झ०—३ / यूजी—२०२४/२६५०

लखनऊः दिनांक २१/११/ 2024

**यू०पी० नीट यू०जी० २०२४ के अन्तर्गत स्पेशल स्ट्रे—वैकेन्सी राजप्ण मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश।**

- स्पेशल स्ट्रे—वैकेन्सी राजप्ण हेतु वहीं अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू०पी० नीट यू०जी०—२०२४ के किसी भी चक की काउन्सिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- स्पेशल स्ट्रे—वैकेन्सी राजप्ण हेतु नीट यू०जी०—२०२४ की ऑल इण्डिया काउन्सिलिंग के किसी भी चक के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे।
- यू०पी० नीट यू०जी०—२०२४ के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक एवं स्ट्रे—वैकेन्सी राजप्ण से Admitted/Not Reported after allotment/Resigned अभ्यर्थी स्पेशल स्ट्रे—वैकेन्सी राजप्ण हेतु अर्ह नहीं हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्ट्रे वैकेन्सी राजप्ण में पूर्व में पंजीकरण कराया था, उन्हें स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राजप्ण में पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि किन्हीं करानों से पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं कर सके थे, तो निर्धारित तिथि के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जमा कर स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राजप्ण में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चकों/राजप्ण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया हैं एवं प्रथम बार स्पेशल स्ट्रे—वैकेन्सी राजप्ण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन्हें नियमानुसार पंजीकरण/सिक्योरिटीधनराशि जमा करना अनिवार्य होगा एवं पंजीकरण धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा, अर्थात् Non Refundable होगा।
- प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक एवं स्ट्रे—वैकेन्सी राजप्ण की काउन्सिलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हें स्पेशल स्ट्रे—वैकेन्सी राजप्ण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- यू०पी० नीट यू०जी०—२०२४ के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक एवं स्ट्रे—वैकेन्सी राजप्ण की काउन्सिलिंग से बी०डी०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी स्पेशल स्ट्रे—वैकेन्सी राजप्ण की एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम की च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह होंगे, ऐसे अभ्यर्थी नियमानुसार राजकीय/निजी क्षेत्र के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु देय धरोहर धनराशि नियमानुसार ऑनलाइन माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- अभ्यर्थीयों द्वारा निम्नांकित तालिका के अनुसार धरोहर धनराशि आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करायी जायेगी। जिन अभ्यर्थीयों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी, वह च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे :—

क०सं०	विवरण	धरोहर धनराशि (Security Money)
1.	राजकीय क्षेत्र की मेडिकल/डेन्टल पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रु० 30,000 (रु० तीस हजार मात्र)
2.	निजी क्षेत्र की मेडिकल पाठ्यक्रम सीटों हेतु	रु० 2,00,000 (रु० दो लाख मात्र)
3.	निजी क्षेत्र की डेन्टल पाठ्यक्रम सीटों हेतु	रु० 1,00,000 (रु० एक लाख मात्र)

- ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी (मेडिकल एवं डेन्टल) दोनों क्षेत्र की सीटों हेतु काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं, उन्हें रु० 2,00,000/- की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र की डेन्टल कालेजों की सीटों हेतु काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं, उन्हें रु० 1,00,000/- की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।
- काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है, कि धरोहर धनराशि जमा करते समय अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करें, समस्त चक की काउन्सिलिंग समाप्त होने के उपरान्त अनावंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते से नियमानुसार वापस की जायेगी, जिस खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान किया गया है।

- नीट यू०जी०–२०२४ मे अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण के समय <https://upneet.gov.in> पर अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु किसी एक नोडल सेन्टर का चयन करना होगा। अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेन्टर की सूची यू०पी० नीट यू०जी० २०२४ के नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक २६.०७.२०२४ एवं ब्रोशर में दी गयी है।
- अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अभिलेख <https://upneet.gov.in> पर अपलोड किये जायेंगे :—
  - हाईस्कूल मार्कशीट/प्रमाण—पत्र
  - इण्टरमीडिएट मार्कशीट
  - आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (OBC, SC, ST, EWS, & EX. Army, NCC, FF, PwD) (यदि लागू हो)
  - डोमिसाइल सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
- आरक्षण (अन्य पिछङ्गा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण—पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछङ्गा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**ई०डब्ल्य०एस०**) के आरक्षण प्रमाण—पत्र दिनांक ०१ अप्रैल, २०२४ अथवा इसके पश्चात् का ही मान्य होंगे।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरक्षण संबंधी प्रमाण—पत्र उ०प्र० शासन द्वारा अद्यतन प्रारूप पर निर्गत करा लें, जिससे कि प्रमाण—पत्र का ऑनलाइन सत्यापन सुविधाजनक रूप से हो सकें।
- भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण—पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहींलेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू०पी० नीट यू०जी० काउंसिलिंग २०२५–२६ के लिये प्रतिबंधित(Debbar) कर दिया जायेगा।
- यू०पी० नीट यू०जी० २०२४ का शासनादेश एवं ब्रोशर विभागीय वेबसाइट <https://upneet.gov.in> तथा <https://dgme.up.gov.in> पर उपलब्ध है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

  
कृते महानिदेशक।